झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/151/2017.. राँची, दिनांक–.............................

प्रेषकः

ई॰ मुक्ति साधन चौरसिया,
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला अंतर्गत परिशिष्ट–1 के अनुसार दो अदद् श्रृखलाबद्ध चेकडैम योजना निर्माण हेतु लागत रािि रू0 489.499 लाख (रूपये चार करोड़ नवासी लाख उन्नचास हजार नौ सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

2. जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला अंतर्गत परिशिष्ट–1 के अनुसार दो अदद् श्रृखलाबद्ध चेकडैम योजना निर्माण हेतु लागत राशि रू0 489.499 लाख (रूपये चार करोड़ नवासी लाख उन्नचास हजार नौ सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. स्वीकृत प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार द्वारा तकनीकी अनुमोदनोपरांत प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर है।

4. स्वीकृत प्रस्ताव की कुल लागत रू॰ 489.499 लाख है। स्वीकृत योजनाओं में कुल 5 (पाँच) चेकडैम है, जिससे कुल 585 हे॰ (खरीफ 475 हे0 एवं रब्बी 110 हे0) सिंचन क्षमता सृजित होगी। योजनावार स्वीकृत कार्य का सिंचन क्षमता, औसत इन्सीडेन्स ऑफ कॉस्ट एवं B.C Ratio (@10% Interest) परिशिष्ट–1 में अंकित है।

5. राज्य की भौगोलिक स्थिति एंव सुखाड़ की समस्या को देखते हुए छोटे–छोटे नदी नालों के जल बहाव को रोक कर चेकडैम का निर्माण किया जाना है। इस योजना के निर्माण से नदी/नालो के जल को सरंक्षित कर आगामी वर्षो में कृषको को सिंचाई सुविधा के साथ–साथ दैनिक उपयोग हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

6. श्रृखलाबद्ध चेकडैम के निर्माण के पूर्व स्थल का सर्वेक्षण कर जल के प्रवाह की गति, मिटट्ी का प्रकार, कमांड एरिया का आकलन किया जाता है। सर्वेक्षण के उपरांत नदी/नाले के जलश्राव की गणना की जाती है एंव तदुपरांत रूपांकण कर चेकडैम के विभिन्न अवयवों की लम्बाई, चौड़ाई, गहराई एंव विशिष्टियों का निर्धारण किया जाता है जिससे की संरचना का स्थायित्व प्रभावित न हो। योजना के निर्माण के दौरान प्रयुक्त होने वाली सामाग्री एंव संरचना के निर्माणाधीन अवयवों के गुणवत्ता की जांच

भी समय–समय पर गुण नियंत्रण प्रमंडल द्वारा की जाती है। इस प्रकार का कार्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त अभियंता के द्वारा सम्पादित किया जाना योजना के हित में है।

7. **(क) श्रृखलाबद्ध चेकडैम योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व चयनित नाला पर प्रस्तावित योजना के लिए स्थल विशेष की स्थिति के अलोक में रूपांकण के आधार पर विस्तृत कार्यकारी प्राक्कलन तैयार किया जायेगा, जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्य के अनुरूप मद एंव मात्रा को ध्यान में रखते हुए सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।**

(ख) श्रृखलाबद्ध चेकडैम योजनाओं का निर्माण लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजना निर्माण के उपरान्त योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व लाभुक समिति का होगा। **अगर कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति लाभुक समिति से प्राप्त नहीं होगा, उस स्थिति में स्थल पर योजना निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा।**

8. स्वीकृत प्रस्ताव पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष ''4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना–19–नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य'' में भारित किया जाएगा।

9. स्वीकृत योजनाओं का निर्माण कार्य वर्ष 2016–17 में प्रारम्भ कर वर्ष 2017–18 में पूर्ण किया जाएगा।

10. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची होंगे। संबंधित कार्यपालक अभियंता की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि योजना का निर्माण कार्य उत्तम गुणवत्ता का हो।

11. इस कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों एंव अन्य विहित प्रक्रियाओं तथा मानको का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

12. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

13. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

14. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनु0:– परिशिष्ट–I

ह0/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/151/2017.. **राँची, दिनांक–**..........................

प्रतिलिपिः योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:– परिशिष्ट –I

ह0/–

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/151/2017.. राँची, दिनांक–..............................
प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी/गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
अनु0ः– परिशिष्ट –I

ह0/–
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/151/2017.. राँची, दिनांक–..............................
प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गुमला/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
अनु0ः– परिशिष्ट –I

ह0/–
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/151/2017.. राँची, दिनांक–..............................
प्रतिलिपिः आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
अनु0ः– परिशिष्ट –I

ह0/–
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/151/2017.. राँची, दिनांक–..............................
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
अनु0ः– परिशिष्ट –I

ह0/–
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/151/2017 87/16-17 प्र॰ मी॰ राँची, दिनांक– 21.02.2017
प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
अनु0ः– परिशिष्ट –I

21/2/17
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)
21/02/17

परिशिष्ट–1

लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला अंतर्गत स्वीकृत दो अदद् श्रृखलाबद्ध चेक डैम निर्माण कार्य की विवरणी :–

क्रम सं०	योजना का नाम	चेकडैम की सं0	जिला	प्रखण्ड	ग्राम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	सिंचन क्षमता (हे०)			Incidence of cost (in Lakh)	B.C Ratio 10%	अभि०
							खरीफ	रब्बी	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	पारस नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण	3	गुमला	भरनो	भरनो	378.559	345	90	435	87025.00	1.26	
2	नटावल नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण	2	गुमला	डुमरी	नटावल, भागीटोली	110.940	130	20	150	73960.00	1.42	
	कुल :–	5				489.499	475	110	585			

पत्रांक 87/16-17 प्र. स्वी. दिनांक 21.02.2017

उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग,
21/02/17

D:\Dixit\My documents\PMC\3_151_17_AA

Gumla_30.01.17